

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 - भूमि का प्रकार :- | आवासीय |
| 2 - वार्ड / परगना :- | हरीपर्वत वार्ड, आगरा |
| 3 - ग्राम / मौहल्ला :- | मौजा जगनपुर मुस्तकिल
(मशहूर आराध्या ग्रीन कालौनी) आगरा |
| 4 - सम्पत्ति का विवरण :- | जमीन मिन 0 खसरा नंबर 115
भूखण्ड संख्या |
| 5 - सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- | वर्गमीटर |
| 6 - सड़क की स्थिति :- | रास्ता मीटर चौड़ा |
| 7 - अन्य विवरण :- | जमीन दो रास्ते एवं पार्क
फेसिंग की नहीं है
और जिसपर कोई निर्माण
नहीं हो रहा है। |
| 8 - प्रतिफल की धनराशि:- | / रुपया |
| 9 - नियमानुसार कीमत :- | / रुपया |
| 10 - सर्किल रेट :- | / रुपया प्रति वर्गमीटर |
| | पृष्ठ कमांक |
| 11 - स्टाम्प तादादी :- | / रुपया |

- : चौहद्दी :-

पूरब -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

विक्रेता :- आराध्या डवलपर्स कार्यालय - 102 गान्धीनगर आगरा द्वारा भागीदार अनु गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी 102 गांधीनगर कालौनी आगरा को फर्म के समस्त भागीदारों द्वारा पारित प्रस्ताव के श्री अनु गुप्ता को फर्म की उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये अधिकृत किया है।

पैन कार्ड नंबर - **ABAF 4450 D** मोबाईल नंबर -

क्रेता :- पुत्र / पत्नी श्री निवासी

पैन कार्ड नंबर -

मोबाईल नंबर -

विवरण विकीत भूखण्ड जमीन :-

जो कि एक किता भूखण्ड संख्या जमीन व तादाद वर्गमीटर पैमायशी पूरब से पश्चिम मीटर व उत्तर से दक्षिण मीटर मिन० खसरा नंबर 115 कि जो संलग्न नक्शा दस्तावेज हाजा मे वरंग लाल से स्पस्ट रुप से प्रदर्शित किया गया है - वाकै मौजा जगनपुर मुस्तकिल (मशहूर आराध्या ग्रीन कालौनी) तहसील व जिला आगरा।

उक्त भूखण्ड जमीन की विक्रेता फर्म तनहा मालिक काबिज व दखील है जिसको वशमूल अन्य जमीन श्रीमती अंजली गुप्ता पत्नी श्री अजय कुमार गुप्ता व श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी श्री अनु गुप्ता ने वजरिये चार किता पंजीकृत विक्रयपत्र इस प्रकार कि दो किता विक्रयपत्र नविश्ता श्री किशन दिनांकित 23/06/2011 ई. प्रथम विक्रयपत्र मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7418 सफा 231/252 नंबर 3237 दिनांक 23/06/2011 ई. मौसूमा श्रीमती अंजली गुप्ता व द्वितीय विक्रयपत्र मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7418 सफा 205/230 नंबर 3236 दिनांक 23/06/2011 मौसूमा श्रीमती नीलम गुप्ता तथा दो किता विक्रयपत्र नविश्ता श्री नारायण सिंह दिनांकित 10/05/2011 ई. प्रथम विक्रयपत्र मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7352 सफा 125/156 नंबर 2277 दिनांक 10/05/2011 ई. मौसूमा श्रीमती अंजली गुप्ता व द्वितीय विक्रयपत्र मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 7352 सफा 157/188 नंबर 2278 दिनांक 10/05/2011 ई. मौसूमा श्रीमती नीलम गुप्ता जिन सबका पंजीकरण कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक प्रथम आगरा मे हुआ है।

खरीद की है तथा नामबुर्दगान मौसूफीन श्रीमती अंजली गुप्ता व श्रीमती नीलम गुप्ता ने वजरिये पंजीकृत विनिमय पत्र के श्री श्रीकिशन से 300 वर्गमीटर जमीन दिनांक 01/10/2012 ई. जिसका पंजीकरण कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक प्रथम आगरा मे मुन्दर्जा वही नंबर एक जिल्द 8014 सफा 341/354 नंबर 5172 दिनांक 01/10/2012 ई हुआ है आपस मे एक्सचेंज कर प्राप्त की है वादहू नामबुर्दगान मौसूफीन श्रीमती अंजली गुप्ता व नीलम गुप्ता ने कुल जमीन की वावत एक मुख्तारनामा आम रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 12/09/2018 ई. जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक प्रथम आगरा मे मुन्दर्जा वही नंबर 4 जिल्द 1001 सफा 69/80 नंबर 249 दिनांक 12/09/2018 ई. हुई है श्री अनु गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता के हक मे किया है। और उक्त नामबुर्दगान मौसूफीन ने पार्टनरशिप फर्म आराध्या डवलपर्स का गठन दिनांक 07/07/2014 ई. को किया, जिसमे उक्त नामबुर्दगान मौसूफीन ने उक्त क्रय की गयी भूमि को समाहित करके अपने व्यक्तिगत अधिकारों का उक्त फर्म मे अभ्यर्पण कर दिया। और उक्त फर्म मे उपरोक्त नामबुर्दगान मौसूफीन के अलावा अनु गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता वर्किंग पार्टनर है जिसकी वावत विक्रेता फर्म को समस्त अधिकार स्वामित्व हर किस्म के प्राप्त है। और उक्त पार्टनर फर्म के समस्त भागीदारों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार श्री अनु गुप्ता को फर्म की सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये अधिकृत किया है। कि जो विक्रेता के किसी भी अन्तरण आदि मे कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सके। इसके अलावा उक्त भूखण्ड जमीन आज तक हर प्रकार के कर्ज व वार व इन्तकाल व मुआहिदा वै एवं जमानत व लोन आदि से पूर्णतः स्वच्छ एवं मुक्त है। और जो नजूल या राजकीय आस्थान की भूमि नहीं है।

अगर उक्त वचनों के विपरीत कोई बात असत्य साबित हो तो विक्रेता समस्त नतायज कानूनी का पाबंद व जिम्मेदार होगा। अब श्री अनु गुप्ता को वहैसियत पार्टनर विक्रेता फर्म के उक्त भूखण्ड जमीन का विक्रय करना वास्ते मुफाद फर्म मजकूर एवं हस्व ख्वाहिश क्रेता के हक मे विक्रेता ने क्रेता की प्रार्थना पर विक्रय करना स्वीकार किया है।

लिहाजा विक्रेता ने वहैसियत पार्टनर फर्म मजकूर उक्त भूखण्ड संख्या जमीन व तादाद वर्गमीटर को अपनी राजी व खुशी से बिना वहकाये ,सिखाये व दवाव नाजायज के खूब सोच समझकर साथ तमाम हद्द व हकूक कुल जिम्मेदारी तथा गुडटायटिल की गारंटी के साथ स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक वएवज मुवलिंग/— रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग/— रुपया होते है वदस्त ...
..... उक्त क्रेता को वै कतई किया और बेच दिया।

उक्त कीमत का कुल मुवलिंग/रुपया विक्रेता ने क्रेता से

कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड जमीन कतई खाली पर विक्रेता फर्म ने उक्त क्रेता का करा दिया, जिस पर क्रेता ने पूर्ण संतुष्ट होकर अपना आधिपत्य कर लिया है ओर क्रेता को उसका कतई तौर पर मालिक मुस्तकिल बना दिया, अब क्रेता को मजाज है कि उसमे हस्व मंशा अपने चाहे जैसे निर्माण करावे, या उसको अपने स्वयं के प्रयोग मे लावे या उसको किराये पर उठावें अथवा उसको रहन, व विक्रय एवं हिवा आदि जो चाहे सो करे ,या जिस प्रकार मुनासिब जाने उससे वहैसियत मालिकाना लाभान्वित होवें कुल अख्तयारात वावत विक्रीत भूखण्ड जमीन मजकूर तनहा क्रेता को हक मालिकाना हर किस्म हांसिल हैं और आयंदा रहेंगे। क्रेता जरिये दस्तावेज हाजा विक्रीत भूखण्ड जमीन पर अपने नाम का नामांकन कागजात अदालत माल मे करालें, विक्रेता अपनी रजामंदी बिना ऐतराज दे देगा ।

अगर आयंदा कभी कोई दावेदार वावत विक्रीत भूखण्ड जमीन मजकूर पैदा होकर कोई दावा व झगडा क्रेता से करे और उसकी वजह से जुज या कुल विक्रीत भूखण्ड जमीन कब्जा वदखल क्रेता से निकल जावे या किसी को कंछ रुपया अदा करना या देना पडे या टायटिल मे कोई नुक्स पाया जावे या विक्रेता की कोई गलत व्यानी जाहिर हो, तो एसी तमाम सूरतों मे उसकी कुल जवावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरेसमन मजकूर वजिम्मे जातखास व जायदाद चल व अचल हर किस्म विक्रेता फर्म व कायम मुकामान उनके के है, और होगी, क्रेता व वारिसान क्रेता को मजाज होगा कि विधिवत वसूल करलें, जिसमे विक्रेता फर्म व कायम मुकामान उनके को कुछ उज्र किसी किस्म का नही होगा।

लिहाजा यह वैनामा (विक्रयपत्र) बाद सुनने ,समझने व पडने जुमला मजमून लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। लेख दिनांकई.

गवाह —

गवाह —